

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या-272/2017

आदेश दिनांक:-

17-11-2017

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :- श्री नितेश पारीक

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :-

प्रत्यर्थी संख्या 3 व 7 को नये सिरे से नोटिस साधारण व पंजीकृत डाक दोनों माध्यम से चार सप्ताह की वापसी हेतु जारी किए जावें । योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें ।

पत्रावली चार सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे तब तक अन्तरिम आदेश यदि कोई हो तो वह जारी रहेगा ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)